REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2023

निजता का अधिकार और सूचना का अधिकार :- एक सिक्के के दो पहलू

संजीव कुमार[1] , डॉ.ओमदत्त[2]
[1](शोधार्थी विधि) डी.ए.वी.कॉलेज , मुजफ्फरनगर.
[2](सह आचार्य,विधि विभाग) डी.ए.वी.कॉलेज ,मुजफ्फरनगर.

सार

भारतीय नागरिक अपना जीवन सम्मानपूर्वक और स्वतंत्रतापूर्वक जी सके ,इसके लिए भारतीय संविधान द्धारा सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार नामक दो अधिकार प्रदान किए गए है। सूचना का अधिकार , शासन के अधीन जो सूचनाए सुरक्षित है ,तक पहुंचने का अधिकार देता है। यह अधिकार सरकार के कार्यो को पारदर्शिता प्रदान करके भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है , जबकि निजता का अधिकार , सूचनाओं के प्रकटन को रोकता है । इसके अनुसार नागरिक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने का अधिकार है। समस्या उस वक्त उत्पन्न होती है जब दोनों अधिकारों में संघर्ष होता है। सामान्यतया ऐसी स्थिति में लोकहित ,व्यक्तिगत हित पर भारी होता है। हितो का संतुलन करके ऐसी स्थिति से निपटा जाता है। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नही है कि दोनों अधिकारों में संघर्ष की स्थिति में कौन सा अधिकार प्रभावी होगा। ऐसी संघर्ष की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सरकार और न्यायालयों को प्रभावी मानक तय करने होंगे। इस शोध पत्र में सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार के सम्बन्धो का अध्ययन करेंगे।

प्रस्तावना

भारत एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र है । भारतीय संविधान द्धारा अपने नागरिको को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है । सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के लिए भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष: कोई प्रावधान नहीं किया गया है बल्कि मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत मान्यता दी गयी है ।

लोग सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके यह सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार नामक महत्वपूर्ण अधिकार है । निजता का अधिकार लोगो को उनके व्यक्तिगत मामलो में निजता की अनुमति देता है जबकि सूचना का अधिकार लोगो को उन जानकारियों तक पहुँचने की अनुमति देता है जो लोक अधिकारियो के पास सुरक्षित है ।

भारत में 2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति पुट्टू स्वामीके मामले में ऐतिहासिक निर्णय हुए निजता के अधिकार को भारतीय को संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण व् दैहिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की। जबकि सूचना का अधिकार का भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19(1)(a) में वर्णित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नामक मूल अधिकार के अन्तर्गत मान्य किया गया। इस अधिकार का उपयोग करने के लिये केन्द्र सरकार (भारत सरकार) द्धारा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है।

उद्देश्य एवं कार्य विधि:-

प्रस्तुत शोध कार्य सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के एक दूसरे से सम्बन्ध को लेकर आशयित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैद्धांतिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए उपलब्ध साहित्य , न्यायनिर्णयन , समाचारपत्रों , पत्रिकाओं तथा इंटरनेट आदि पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करके उद्देश्यपूर्ति का निष्ठापूर्वक प्रयास किया गया है।

निजता का अधिकार

निजता का विचार भारतीय समाज के लिये नया नही है । सभ्यता के आगमन से ही सार्वजनिक व व्यक्तिगत जीवन के बीच अंतर रहा है । सर्वप्रथम वारेन और ब्रैंडिश द्धारा हावर्ड लॉ रिव्यु में "राइट टू प्राइवेसी" नामक लेख प्रकाशित करके निजता को परिभाषित करने का प्रयास किया ।इसके द्धारा अकेले रहने के अधिकार को निजता के रूप में मान्य किया था ।[1]

धर्मशास्त्रो और हितोपदेश जैसे प्राचीन ग्रंथो में निजता के विचार को देखा जा सकता है , यहाँ विशेष रूप से उल्लेखित है कि पूजा , परिवार और यौन क़ियाओ जैसे कुछ मामलो को प्रकटन से दूर रखना चाहिए ।[2]

आमतौर पर निजता का अर्थ , बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के सम्मानपूर्वक जीवन जीने को माना जाता है । किसी की व्यक्तिगत जानकारी उसकी निजी संपत्ति होती है , उसे अधिकार होता है कि कोई उसका खुलासा न करे । निजता और सार्वजनिकता एक दूसरे कि विपरीत होते है। यदि एक मित्र दूसरे मित्र को कोई गोपनीय पत्र लिखता है और दूसरा मित्र उसे सार्वजानिक कर दे तो यह पहले मित्र की निजता का उल्लंघन होगा । निजता का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी मान्य है जो निम्नलिखित प्रावधानों से स्पष्ट है :-

1. **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 का अनुच्छेद-12:-** किसी व्यक्ति की एकान्तता ,परिवार का पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा , न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है।
2. **नागरिक और राजनितिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा -1976** के अनुच्छेद 17 निजता के अधिकार को अनिवार्य करता है। यह अनुच्छेद लोगो को उनके सम्मान और प्रतिष्ठा पर होने वाले गैर कानूनी हमलो से भी रक्षा करता है। अनुच्छेद -17(2) ऐसे हमलो के विरुद्ध क़ानूनी संरक्षण प्रदान करता है।[3]
3. **मानव अधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय - 1950** के अनुच्छेद 8 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी और पारिवारिक जीवन , अपने घर और अपने पत्र व्यवहार का सम्मान करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 8 (2) के अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा ,सार्वजनिक सुरक्षा या आर्थिक लाभ के सिवाय , अनुच्छेद 8 में दिए गये अधिकार में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।[4]

न तो भारतीय संविधान में और न ही किसी अन्य कानून में निजता के अधिकार की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। इस अधिकार की व्याख्या और मान्यता का एकमात्र श्रेय भारतीय न्यायपालिका को जाता है। 24 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है, कि निजता का अधिकार सभी भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों में से एक है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकारों में निहित है।

वर्तमान में 'एकान्तता का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है और कोई भी किसी व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है एक नागरिक को अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी व्यक्तिगत निजता,अपने परिवार की निजता, विवाह, वंशवृद्धि और शिक्षा ग्रहण करने की निजता की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। निजता के अधिकार को इस स्थिति तक पहुंचाने के लिये बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। कहीं इसे माना गया कही अस्वीकार किया गया ।

भारतीय संविधान :-

संविधान सभा की बैठक के दौरान नागरिको के निजता के अधिकार का मामला उठा। निजता के अधिकार को लेकर संविधान सभा के सदस्यों में मतभेद था। मि.काज़मी सैय्यद करीमुद्दीन द्धारा एक संशोधन का प्रस्ताव लाया गया कि अनुच्छेद २० में ही निजता के अधिकार की बात को जोड़ दिया जाए कि राज्य के पास बिना किसी उचित कारण के व्यक्ति के जीवन और घर की तलाशी व जब्ती का अधिकार नही होना चाहिए। परन्तु बी.एन.राव और अलादि कृष्णास्वामी ने इस संशोधन प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह का प्रतिबन्ध/ हस्तेक्षप पुलिस अधिकारियो के कार्यो में अवरोध उत्पन्न करेगा। इन मतभेदों के चलते ही निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल नही किया गया।[5]

इस प्रकार हम देखते है कि भारतीय संविधान में निजता के अधिकार का कहीं भी उल्लेख नही है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने धीरे धीरे अपने दृष्टिकोण को विस्तार देते हुए अंततः निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 "प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता " के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी है।

भारतीय सन्दर्भ में सर्वप्रथम निजता के बात 1954 में **एम.पी.शर्मा बनाम सतीश चंद्र**[6] के वाद में सामने आयी।

यह वाद डालमिया समूह की कम्पनिओ के दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती से सम्बंधित था।इस वाद में डालमिया समूह पर आरोप लगा की वो पैसो की हेरा फेरी व धोखाधड़ी कर रहे है और इसे छुपाने के लिए समूह जाली दस्तावेज और बैलेंस शीट जमा कर रहे है। सरकार द्धारा जाँच के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी महोदय द्धारा 1953 में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गयी , जिस पर मजिस्ट्रेट द्धारा डालमिया समूह की जाँच और जब्ती का वारण्ट जारी किया गया । इस वारंट के तहत समूह के 30 से ज्यादा जगहों पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। डालमिया समूह द्धारा इस जाँच को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि तलाशी के दौरान अन्य दस्तावेजों के साथ साथ हमारे निजी दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं । यह हमारे मौलिक अधिकार जैसे निजता के अधिकार का उल्लंघन हैं । उच्चतम न्यायालय की आठ न्यायाधीशो की पीठ ने निर्णय दिया कि सामाजिक हित और सुरक्षा कारणों से सम्बन्धित मामलो में राज्य को तलाशी और जब्ती के विशेष अधिकार दिये गए हैं, साथ ही भारतीय संविधान में निजता के अधिकार जैसी किसी बात का प्रावधान नही हैं ।

उच्चतम न्यायालय ने जहाँ एम.पी.शर्मा के वाद में निजता के अधिकार को पूरी तरह से नकार दिया वही **खड़क सिंह बनाम उ.प्र. राज्य**[7] के वाद में अल्पमत से ही सही निजता के अधिकार कि मान्यता के सम्बन्ध में कुछ झलक देखने को मिली। यह मामला डकैती से सम्बंधित था । खड़क सिंह नाम के व्यक्ति को डकैती के एक मामले में गिरफतार किया गया था , खड़क सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारन उसे रिहा कर दिया गया परन्तु उत्तर प्रदेश पुलिस द्धारा पुलिस रेगुलेशन अधिनियम के अंतर्गत उसे निगरानी में रखा जाता हैं।निगरानी के दौरान खड़क सिंह से मिलने वाले व्यक्तियों को संदेह कि दृष्टि से देखना , रात में किसी भी समय घर में घुसकर तलाशी लेना और इसके सभी व्यवहारों कि जाँच की जा सकती थी । इससे परेशान होकर खड़क सिंह ने अपने ऊपर चल रही निगरानी और पुलिस रेगुलेशन अधिनियम की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और कहा की यह कार्य अनुच्छेद 19(1)(d) के भ्रमण की स्वतन्त्रता व अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता द्धारा मुझे प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं। इस वाद में उच्चतम न्यायालय की 6 सदस्यीय पीठ ने पुलिस द्धारा रात में किसी भी समय घर में घुसकर तलाशी लेने को असंवैधानिक माना (इस तरह निजता को कुछ मान्यता मिली), बाकी अधिनियम को संवैधानिक मानते हुए कहा कि भारतीय में निजता का अधिकार मान्य नही है। अनुच्छेद 19(1)(d) के अंतर्गत प्राप्त भ्रमण की स्वतन्त्रता के अधिकार उल्लंघन तभी माना जायेगा जब किसी को शारीरिक रूप से रोका जाता है । इन सब से अलग न्यायाधीश सुब्बाराव का कहना था कि ऐसा भ्रमण स्वतंत्र कैसे कहा जायेगा जो हर समय निगरानी में हो । न्यायाधीश महोदय का ऐसा कथन आगे चलकर निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्य करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ ।

गोविन्द बनाम मध्यप्रदेश राज्य[8] इस वाद में याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश पुलिस विनियम 855 और 856,जो पुलिस को किसी व्यक्ति को निगरानी में रखने की अनुमति देता है , की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी थी । याचिकाकर्ता ने कहा की भारतीय संविधान द्धारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, में '' निजता का अधिकार भी शामिल है।यह विनिमय अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।

न्यायाधीश मैथ्यू महोदय ने " निजता की अधिकार " को अनुच्छेद 21 से उत्पन्न मानते हुए कहा कि निजता का अधिकार पूर्ण नही है , बल्कि जिस प्रकार मौलिक अधिकार लोकहित में प्रतिबंधों की अधीन है ,उसी प्रकार निजता का अधिकार भी प्रतिबंधों के अधीन होगा।

महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण[9] - "चरित्रहीनता ,किसी महिला की निजता में हस्तक्षेप का मानक नही है ", इस वाद में एक पुलिस अधिकारी ने एक महिला से शारीरिक सम्बन्ध बनाने को कहा लेकिन महिला द्धारा इंकार करने पर पुलिस अधिकारी ने जबदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया। महिला अपने बचाव में जोर -जोर से चिल्लाने लगी ,उसकी आवाज सुनकर आस पास के लोगो ने उस पुलिस अधिकारी को पकड़ लिया। न्यायालय में सुनवाई की दौरान पुलिस अधिकारी ने अपने बचाव में तर्क दिया कि महिला चरित्रहीन है।न्यायालय द्धारा इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि चरित्रहीन महिला को भी अनुच्छेद 21 के द्धारा निजता का अधिकार प्राप्त है। कोई भी इस आधार पर इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि चरित्रहीन है।

आर.गोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य[10] यह वाद "ऑटो शंकर के केस "के नाम से प्रसिद्ध है। इस वाद में नक्खीकरण पत्रिका के सम्पादको ने उच्चतम न्यायालय मे याचिका दायर करके यह गुहार लगायी कि न्यायालय राज्य व पुलिस के उच्चाधिकारियों के विरुद्ध आदेश जारी करे कि वो पत्रिका को ऑटो शंकर की आत्मकथा प्रकाशित करने से न रोके।

इस वाद में गौरी शंकर जो ऑटो शंकर के नाम से भी जाना जाता है ,को हत्या की मामले में मृत्युदंड दिया जाता है।अपने कारावास के दिनों में वह अपनी आत्मकथा लिखता है,जिसमे वह उच्चाधिकारियों से अपने सम्बन्धो के बारे में लिखता है। इस आत्मकथा को प्रकाशित करवाने के लिए तमिल पत्रिका नक्खीकरण के पास भिजवाता है। इसकी भनक लगते ही राज्य की उच्चाधिकारी ,पत्रिका के सम्पादको को पत्र लिखकर यह कहते है कि यह आत्मकथा झूठी है , ऐसे प्रकाशित न करे। उच्चतम न्यायालय द्धारा यह निर्णय दिया गया कि राज्य व अन्य उच्चाधिकारियों को उक्त आत्मकथा पर इस आधार पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है कि इसमे उच्चाधिकारियों के विरुद्ध असम्मानजनक बाते लिखी है। अतःप्रकाशक उक्त आत्मकथा को प्रकाशित कर सकते है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नही कर सकता। यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से सम्बंधित बातो को उस व्यक्ति की अनुमति के बिना प्रकाशित किया जाता है तो वह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा ,यदि सार्वजनिक अभिलेखों से कुछ प्रकाशित किया जाता है तो इसे निजता का उल्लंघन नहीं मन जाएगा। निजता के अधिकार का निर्धारण मामलो के तथ्यों के आधार पर किया जाएगा।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया[11] इस वाद को "वायर टैपिंग केस" के नाम से जाना जाता है। इसमें तत्कालीन सरकार पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी सहित 27 नेताओ के फ़ोन टेप करने का आरोप लगाया गया। मामले की जाँच सी.बी.आई. द्धारा की गयी। जाँच में खुलासा हुआ कि बड़ी संख्या में फ़ोन की टापिंगकी जा रही है । इस खुलासे के बाद पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की और इस स्पष्टीकरण की मांग की कि व्यक्ति के पास निजता की सुरक्षा के क्या अधिकार है ? इस समय तक भारतीय दूरसंचार अधिनियम की धारा 5 (2)में यह कहा गया था कि समाज सुरक्षा, आपात जैसी स्थितियों में राज्य को फ़ोन टेप करने का अधिकार है। निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह जी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में नागरिको को प्राण एवं दैहिक (व्यक्तिगत) स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है ,इसी के अंतर्गत ही निजता का अधिकार है। न्यायालय का कहना था कि टेलीफोन पर होने वाली बातचीत बहुत निजी होती है और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए निर्देशों के अनुरूप भारतीय दूरसंचार नियमावली की धारा 5 (2) में संशोधन किया गया और कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्धारा उचित स्थितियों में ही फ़ोन टेप करने का आदेश दिए जा सकता है।

एक अन्य वाद **रचाला एम.भुवनेश्वरी बनाम नागफंदर रचाला**[12] में उपरोक्त वाद के निर्णय का अनुसरण करते हुए ही निर्णय दिया गया। इस मामले में भी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्धारा फ़ोन टेप करना निजता के अधिकार का उल्लंघन माना गया। इस विवाह विच्छेद के वाद में पति अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अपनी पत्नी और पत्नी के माता पिता के बीच की बातचीत को टेप करके न्यायालय में प्रस्तुत करता है। न्यायालय द्धारा निर्णय दिया जाता है कि इस तरह अपनी पत्नी कि सहमति के बिना ,पत्नी के माता पिता के बीच की बातचीत को रिकॉर्ड करना,पत्नी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

इस तरह हम देखते है कि धीरे-धीरे निजता के अधिकार को मान्यता मिलने लगी और 2017 में आधार मामले में निजता के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया।

आधार मामला :-

2012 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्धारा आधार योजना का आरम्भ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत नागरिको का एक पहचान पत्र बनाया जाना था ,जिसके लिये नागरिको के फिंगर प्रिंट और आँखों का स्कैन आदि बायो मेट्रिक डाटा लिया जाना था। इस योजना का उद्देश्य नागरिको को सरकारी योजनाओ और सुविधाओं का शीघ्र लाभ पहुँचाना बताया गया । बाद में बैंक खातों ,गैस कनेक्शन ,पेन कार्ड आदि सुविधाओं के लिये आधार को अनिवार्य बना दिया गया।

के.पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ[13]

इस वाद को "आधार मामला" नाम से भी जाना जाता है।

कर्नाटका उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री के.पुट्टास्वामी ने आधार योजना को उच्चतम न्यायालय में इस तर्क के साथ चुनौती दी कि यह योजना "निजता के अधिकार "का उल्लंघन करती है तथा साथ ही यह भी कहा गया कि इकट्ठे किये गए डाटा की उचित सुरक्षा का इंतजाम नहीं है।

आधार योजना का समर्थन करते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा की निजता के अधिकार नामक कोई अधिकार नागरिको को प्राप्त नही है। इस मामले में इस बात पर सुनवाई की गई कि "निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नही" न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त किया कि भारतीय नागरिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्धारा निजता का अधिकार रखते है । इसलिए निजता के अधिकार के लिए अलग से घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय द्धारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया परन्तु ये अधिकार पूर्ण नही है।जिस प्रकार मौलिक अधिकार कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, उसी प्रकार निजता का अधिकार भी राष्ट्रीय सुरक्षा ,सार्वजनिक सुरक्षा ,लोकहित आदि प्रतिबंधों के अधीन है।

एक नवीनतम वाद में 2022 में उच्चतम न्यायालय ने दुष्कर्म के मामलो में "टू फिंगर टेस्ट " के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ व जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि यह परीक्षण पीड़िता कि गरिमा पर कुठाराघात है और उसकी निजता का उल्लंघन है।[14]

निजता का अधिकार असीमित नही है :-

मिस्टर "एक्स" बनाम हॉस्पिटल " जैड "[15] नामक वाद में उच्चतम न्यायालय द्धारा निर्णीत किया कि यघपि संविधान के अनुच्छेद 21 में उपलब्ध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही ' निजता का अधिकार ' आता है परन्तु यह अधिकार पूर्ण या असीमित नही है। इस पर स्वास्थ्य , अपराधो कि रोकथाम व नागरिको के अधिकारों कि रक्षा के लिए प्रतिबन्ध लगाये जा सकते है।

इस वाद में एक व्यक्ति 'एक्स ' के खून कि जाँच कि गयी तो उसमे एड्स कि पुष्टि हुयी। हॉस्पिटल 'जैड' के इस बात के प्रकट करने से 'एक्स' कि सगाई टूट गयी और उसकी प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंची। इस पर 'एक्स 'द्धारा हॉस्पिटल 'जैड' के विरुद्ध याचिका दायर कि गयी , इसमें 'एक्स ' द्धारा तर्क दिया गया हॉस्पिटल 'जैड' के इस प्रकार के प्रकटन से, 'एक्स' को अनुच्छेद 21 में प्राप्त 'निजता के अधिकार , का उल्लंघन किया गया है। न्यायालय द्धारा निर्णय दिया गया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण या असीमित नही है , इस पर प्रतिबन्ध लगे जा सकते है।जिस

प्रकार 'एक्स ' को निजता का अधिकार है ,उसी तरह उसकी होने वाली पत्नी को भी यह 'जानने का अधिकार है कि उसका होने वाला पति किसी गंभीर रोग से तो पीड़ित नही है। इस प्रकार हॉस्पिटल 'जैड' का प्रकटन ' निजता के अधिकार' का उल्लंघन नही है।

शारदा बनाम धर्मपाल[16] –

मूल वाद में पति द्धारा अपनी पत्नी के विरुद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम -1955 कि धारा 12 (1) व धारा 13 (1) (iii) के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए वाद दायर किया गया ,साथ ही अपने वाद को बल देने के लिए एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया। इस प्रार्थना पत्र में अपनी पत्नी की मेडिकल जाँच के लिए निर्देश देने की न्यायालय से प्रार्थना की गयी, जिससे वह यह सिद्ध कर सके कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नही है। न्यायालय द्धारा मेडिकल जाँच की अनुमति दे दी गयी।

इस अनुमति से क्षुब्ध होकर पत्नी द्धारा उच्च न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की गयी।उच्च न्यायालय द्धारा पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गयी।पत्नी ने उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय मे अपील की। उच्चतम न्यायालय द्धारा कहा गया कि न तो कोई विशिष्ट प्रावधान है,जो उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश देने का अधिकार देता है और न ही कोई प्रावधान निर्देश देने से रोकता है बल्कि दीवानी प्रकिया संहिता के अंतर्गत सिविल न्यायालय के पास पक्षकारो को न्याय प्रदान करने के लिए सभी आदेश पारित करने कि अन्तर्निहित शक्तिया है।

न्यायालय ने इस वाद में निजता के अधिकार का भी अध्ययन किया और कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत 'निजता का अधिकार ' है, परन्तु यह पूर्ण अधिकार नही है। जहाँ परस्पर दो विरोधी अधिकार हो, एक ओर हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत मानसिक अस्वस्थता के आधार पर विवाह विच्छेद का अधिकार ओर दूसरी ओर पक्ष की निजता का अधिकार , वहाँ न्यायालय द्धारा मेडिकल परिक्षण का आदेश उसी स्थिति में दिया जा सकता है, जब पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हो । इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा की ' निजता के अधिकार ' का उल्लंघन नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय द्धारा अपीलार्थी पत्नी की अपील को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को बरक़रार रखा।

सूचना का अधिकार

भारत में लोकतान्त्रिक व्यवस्था है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में नागरिको द्धारा प्रत्यक्ष रूप से सरकार का चुनाव किया जाता है। ऐसी स्थिति में देश के नागरिको को हक़ है कि वह सरकार द्धारा किये जा रहे कार्यो की जानकारी ले सके। नागरिको का जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है। इसलिए सरकार के कार्यो को पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय संसद द्धारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया।

भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने से पहले भारत लम्बे समय तक अंग्रजो का गुलाम रहा था।इस दौरान अंग्रेजी सरकार ने अपने कार्यो को गोपनीय बनाने की नियत से भारत में शासकीय गोनियता अधिनियम 1923 पारित किया। इस अधिनियम द्धारा सरकार को यह अधिकार हो गया था कि वो किसी भी सूचना को गोपनीय बना सकती थी ।आजादी मिलने के बाद भी सरकारों ने इस नियम में कोई संशोधन नही किया। सरकार 1923 के अधिनियम का लाभ उठाते हुए सूचनाओं को छुपाती रही।

सुचना का अधिकार अधिनियम-2005 पारित होने से पहले यह अधिकार एक संघर्षशील यात्रा से गुजरा :-

1. सुचना के अधिकार की झलक उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण [17] के मामले में दिखाई दी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रत्येक नागरिक को सरकार द्धारा किये कार्यो को जानने का अधिकार है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(क) में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्धारा समर्थित है। लोकहित में किये गये कार्यो को गोपनीयता की आड़ में प्रकट करने से इंकार नही किया जाना चाहिए।

2. 1982 में एस.पी.गुप्ता बनाम भारत संघ [18] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपना मत प्रकट किया कि यदि नागरिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था को पूरे मन से स्वीकार करते है तो उन्हें लोकतान्त्रिक सरकार द्धारा किये कार्यो को भी जानने का हक़ है।

द्धितीय प्रेस आयोग (1982) ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम -1923 की धारा-5 को निरस्त करने की सिफारिश की। इस अधिनियम में यह कही भी परिभाषित नही है कि "गुप्त" क्या है ? स्पष्ट परिभाषा के अभाव में यह सरकार के विवेक पर निर्भर था कि किस बात को गोपनीय माने और किसे गोपनीय न माने ।

3. 1989 के आम चुनावो के बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी । प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपने पहले सम्बोधन में सूचना के अधिकार का कानून बनाने और शासकीय गोपनीयता अधिनियम -1923 में संशोधन की घोषणा की,परन्तु जल्दी ही कांग्रेस द्धारा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जिससे सरकार गिर गयी और अपनी घोषणा पूरी न कर सकी।

4. सूचना के अधिकार की मांग करने का श्रेय राजस्थान की जनता को जाता है। राजस्थान में इस जन आंदोलन की शुरुआत 90 के दशक में हुयी। 1 मई 1990 में श्रीमती अरुणा राय ने निखिल डे और शंकर सिंह के साथ मिलकर मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना की । इस संगठन को सर्वप्रथम सूचना के अधिकार की मांग करने और जनसुनवाई नामक कार्यक्रमो की शुरुआत करके भ्रष्टाचार उजागर करने का श्रेय जाता है ।

5. 1996 के आम चुनावो में लगभग सभी राजनैतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में सूचना के अधिकार के लिए कानून बनाने का समर्थन किया। न्यायमूर्ति जी.वी.सामंत की अध्यक्षता वाली प्रेस कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने सूचना के अधिकार का प्रारूप बनाकर केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा ।

6. 1997 में एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष श्री एच.डी.शौरी थे। इस समिति को सूचना के अधिकार के प्रारूप में संशोधन का कार्य सौपा गया। मई 1997 में शौरी समिति में उक्त प्रारूप में संशोधन करके सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया परन्तु संयुक्त मार्चा की सरकार ने उस पर कोई गंभीर पहल नहीं की।

7. एन.डी.ए. की सरकार ने 2002 में "सूचना की स्वतंत्रता विधेयक" संसद में पारित किया। राष्ट्रपति द्धारा सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को जनवरी 2003 में स्वीकृति दी गयी , परन्तु नियमावली न बनने के कारन इसे लागू नही किया जा सका।

8. 2005 में प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने मई 2005 में सूचना के अधिकार से सम्बंधित बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवा लिए । जून 2005 में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गयी। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम , जम्मू कश्मीर को छोड़ कर पूरे भारत में लागू हो गया।

कौन सूचना मांग सकता है ?:-

" अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, सभी नागरिको को सूचना का अधिकार होगा ।" इससे स्पष्ट है कि केवल भारतीय नागरिको को ये अधिकार होगा , विदेशियों को नही । " नागरिक " शब्द से यह स्पष्ट है कि ये अधिकार केवल व्यक्तियों को प्राप्त है , संस्थाओ को नही , क्योकि संस्थाओ को नागरिकता नही मिलती है।[19]

लोक अधिकारियो के दायित्व :-

अधिनियम के अंतर्गत लोक अधिकारियो को यह दायित्व दिया गया है कि सूचना के अधिकार को सुगम बनाने के लिए, सभी रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकृत करे [20] तथा साथ ही अधिनियम लागू होने के 120 दिन के अंदर विभाग से संबन्धित 17 महत्वूर्ण बिन्दुओ पर सूचनाओं का प्रकाशन आवश्यक है।[21] जिनमे से कुछ प्रमुख बिं दुनिम्नलिखित है ;-

(i) अपने संगठन की जानकारी ,कार्य और कर्तव्य ;

(ii) अपने अधिकारियो और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं उनके कर्तव्य ;

(iii) उन सभी अभिलेखो का विवरण जो उसके द्धारा प्राप्त हो या उसके कब्जे में हो ;

(iv) सार्वजनिक सूचना अधिकरियो के नाम,पद और अन्य जानकारी ।

आवदेन:- कोई भी नागरिक हिंदी,अंग्रेजी या क्षेत्रीय प्रचारित भाषा में अपना लिखित आवेदन जन सूचना अधिकारी के पास निर्धारित शुल्क के साथ जमा करवायेंगा। यदि कोई व्यक्ति लिखित में अपना आवेदन देने में असमर्थ है तो सम्बंधित अधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह ऐसे आवेदक की मौखिक प्रार्थना को लिखित रूप में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करेगा।[22]

प्रारूप :- अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदक अपनी सुविधानुसार प्लेन पेपर पर हिंदी,अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में अपना आवेदन जमा करवा सकता है।

समय सीमा:- अधिनियम के अन्तर्गत , सूचना प्रदान करने लिए आवेदन प्राप्ति से 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से सम्बन्धित है तो वहां पर 48 घंटे में सूचना उपलब्ध करवानी पड़ेगी।[23]

यदि सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना नहीं देता है ,या प्राप्त सूचना से आवेदनकर्ता संतुष्ट नहीं है तो आवेदनकर्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ 30 दिन के अंदर अपील करेगा। यह समय सीमा 45 दिन भी हो सकती है।[24]

प्रथम अपील के उत्तर से संतुष्ट न होने पर आवेदनकर्ता 90 दिन के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जैसी भी परिस्थिति हो द्धितीय अपील कर सकता है।[25]

शुल्क :- सामान्यतः आवेदन का शुल्क 10 रु है जो नकद , पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट से भुगतान किया जा सकता है। परन्तु कुछ राज्यों में सूचना मांगने के लिए अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

दण्ड :- यदि सूचना अधिकारी आवेदन स्वीकार नहीं करता है या निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है या गलत / अधूरी सूचना जानकारी देता है तो अधिकारी को 250 रु प्रति दिन के हिसाब से अधिकतम 25000/- रु तक जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।[26]

सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार में सम्बन्ध

सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति(नागरिक) को उन सूचनाओं को पाने का अधिकार देता है जो सरकारी संस्थाओ के पास सुरक्षित है , लेकिन निजता का अधिकार किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत जीवन से सम्बंधित जानकारी तक अन्य व्यक्ति की पंहुच को नियंत्रित करने की शक्ति देता है।वर्तमान आधुनिक समाज में दोनों अधिकार महत्वपूर्ण मानवाधिकार है और एक दूसरे से सम्बंधित है।अधिकांशत: दोनों अधिकार सरकारों को व्यक्तियों के प्रति जवाबदेह बनाए रखने में एक दूसरे के पूरक है।दोनों अधिकारों में संघर्ष उस समय होता है , जब सरकारी संस्थाओ द्धारा रखी गयी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। जहाँ अधिकार टकराते है,वहां राज्यों को ऐसा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता होती है ,जो मुख्य मुद्दों की पहचान करके अधिकारों को संतुलित कर सके ।

वर्तमान समय में निजता को नई तकनीकों और कार्यप्रणाली द्धारा चुनौती दी जा रही है।आधुनिक तकनीक जानकारी के संग्रह और साझाकरण को सुविधाजनक बना रही है।संवेदंनशील डाटा जिसमे बायोमैट्रिक व डी.एन.ए. आदि शामिल है,अब नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है।संचार तकनीकों के माध्यम से सूचना तक पहुँच को आसान बनाया जा रहा है और विभिन्न वेबसाइटों द्धारा सरकारी आंकड़ों तक आसानी से पंहुच हो रही है।ऐसे में निजता के अधिकार को सुरक्षा की आवश्यकता है।

जहाँ दोनों अधिकारों में संघर्ष दिख रहा है,वही निजता के अधिकार को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) से समर्थन भी मिल रहा है ।धारा 8(1)(j) में यह व्यवस्था है कि यदि व्यक्तिगत जानकारी लोकहित में आवश्यक नही है तो सूचना देने से इंकार किया जायेगा।

सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार विरोधी प्रतीत होते है लेकिन ये एक दूसरे के पूरक भी है।

मिस्टर "एक्स" बनाम हॉस्पिटल " जैड "[27] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि विवाह के एक पक्ष को यह जानने का अधिकार है कि उसका होने वाला साथी किसी गंभीर बीमारी से तो पीड़ित नही है।दूसरा पक्ष निजता के अधिकार कि आड़ में नही बच सकता है।क्योकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार को मान्यता दी गयी है।

पंकज वधवा बनाम सी.बी.आई.[28] के मामले में संपत्ति का विवरण व भविष्य निधि से सम्बंधित सूचना मांगी गए थी।केंद्रीय सूचना आयोग ने स्पष्ट किया कि यघपि संपत्ति का विवरण एक निजी सूचना है परन्तु कर्मचारी के उक्त विवरण को सार्वजनिक करना वांछित होगा।आयोग का कहना था कि ऐसा करने से पारदर्शित एवं कर्मचारी व संस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी।परन्तु भविष्य निधि से सम्बंधित सूचना को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत सूचना माना।

इस प्रकार हम देखते है कि निजता के अधिकार में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी छुपा सकता है परन्तु जहाँ जनहित या देश की सुरक्षा का प्रश्न होता है ,उसे निजता के अधिकार का कवच उपलब्ध नहीं होता है।यही स्थिति सूचना के अधिकार की है।वह भी देश की सुरक्षा और अखंडता की कीमत पर नागरिको को उपलब्ध नहीं है।

निष्कर्ष :-

इस शोध पत्र में भारतीय संविधान द्धारा नागरिको को प्रदान किये गये निजता के अधिकार व सूचना के अधिकार के मान्य होने तक के सफर का वर्णन किया गया है साथ ही दोनों अधिकारों के तालमेल और संघर्ष का भी उल्लेख किया गया है ।नागरिको के लिए सूचना का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है उतना ही नागरिको की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है।ऐसे में जब दोनों अधिकारों के बीच संघर्ष हो तो हितो का संतुलन बनाना ही उचित है।व्यापक जनहित ही संतुलन की कसौटी हो सकता है।उपरोक्त बातो पर विचार करने के बाद हम कह सकते है की निजता का अधिकार और सूचना का अधिकार एक सिक्के के दो पहलू है।

सन्दर्भ सूची :-

1. www.youthkiawaaz.com visited on 19-10-2022
2. Ibid
3. wikipedia
4. Ibid
5. सुप्रा नोट 1
6. A.I.R. 1954 S.C. 300
7. A.I.R. 1963 S.C. 1295
8. A.I.R. 1975 S.C. 1379
9. A.I.R. 1991 S.C. 207
10. A.I.R. 1994 S.C. 264
11. A.I.R. 1997 S.C. 568
12. A.I.R. 2008 A.P. 98
13. A.I.R. 2017 S.C. 4161
14. अमर उजाला, मेरठ संस्करण 1 नवंबर 2022 पेज न. 1
15. A.I.R. 1999 S.C. 495
16. A.I.R. 2003 S.C. 3450
17. (1975) 4 SCC 428
18. A.I.R. 1982 S.C. 149
19. धारा 3 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

20. धारा 4(1) (क) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
21. धारा 4(1) (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
22. धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
23. धारा 7(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
24. धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
25. धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
26. धारा 20(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
27. सुप्रा नोट 15
28.CIC/SM/A/2011/001224 decided on 11.05.2012

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. सिवाच , डॉ राजकुमार - सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 और पारदर्शी शासन,सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन ,दरभंगा कैसल, इलाहाबाद संस्करण -2010
2. पांडेय,जयनारायण - भारत का संविधान ,सेंट्रल लॉ एजेंसी , इलाहाबाद संस्करण -2016